

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगापुर
(पीठासीन अधिकारी केम्प स्थल. ~~बावल~~)

प्रकरण संख्या 46/21

निर्णय दिनांक 24/11/2021

अनुच्छेद 136 एल.आर.एक्ट 1956

~~बनाम~~ ~~सरकार~~ जरिये तहसीलदार सहाड़ा
~~वि.के.के. (बावल)~~ -: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~खावल~~ व भू0अ0नि0 ~~खावल~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सहाड़ा/नायब तहसीलदार सहाड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~खावल~~ तहसील सहाड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में खाता संख्या ~~खावल~~ -184 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	खावल ममलीगाँव	184 (खावल) 29, 33, 34, 67, 135 (ममलीगाँव)	अशुद्ध प्रविष्टि मिथाराम माली	वकसीराम उर्फ अशुद्ध प्रविष्टि ममलीगाँव

न

(राजेश सुवालका)
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग 2021
(उपखण्ड अधिकारी) (पीठासीन)
पदेन गंगापुर कलेक्टर, भीलवाड़ा पुर

प्रकरण संख्या 46/2021

दिनांक 24/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सहाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी ~~वकसीराम उर्फ अशुद्ध प्रविष्टि~~ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग 2021
(उपखण्ड अधिकारी) (पीठासीन)
गंगापुर कलेक्टर, भीलवाड़ा पुर